

समाहरणालय, सहरसा

(उत्पाद प्रशाखा)

—: आवश्यक सूचना :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुरे राज्य में गांजा/भांग/अफ्रीम की खेती एक गंभीर अपराध है। सहरसा जिला अन्तर्गत गांजा/भांग/अफ्रीम की खेती संबंधित सूचना, सूचनादाता द्वारा जिला उत्पाद कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में कार्यरत टॉल फ्री नं०- 1800 3456 283 पर सुबह 10 बजे से संध्या 05 बजे तक दर्ज किया जा सकता है। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा तथा सूचना सही पाए जाने पर उसे उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा।

ह०/-
अधीक्षक उत्पाद,
सहरसा।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक... / उत्पाद, दिनांक.....
प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/सिमरी बख्तियारपुर/सिविल सर्जन, सहरसा/श्री सुनील दत्त झा, वरीय उप समाहर्ता, सहरसा (मद्यपान निषेध)/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा/जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) सहरसा/निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
अधीक्षक उत्पाद,
सहरसा।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक... 449... उत्पाद, दिनांक... 24-06-15
प्रतिलिपि- सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


अधीक्षक उत्पाद,
सहरसा।


जिला पदाधिकारी,
सहरसा।